



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266664  
CG-DL-E-04102025-266664

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]  
No. 282]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला सं. डी (ओ आई) - 36/2025

विषय: चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्लिमेशन पेपर के आयात के संबंध में  
पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/41/2025-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स जीटी पेपर्स, मेसर्स हाई टेक पेपर्स और मेसर्स जिबो पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्लिमेशन पेपर (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सब्लिमेशन पेपर है। इसे बाज़ार की भाषा में सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर, हीट ट्रांसफर पेपर, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए पेपर, बुड ग्रेन ट्रांसफर पेपर और थर्मल ट्रांसफर पेपर के नाम से भी जाना जाता है।
4. संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए, कम सांध्रत और उच्च आयामी स्थिरता वाले उच्च गुणवत्ता वाले कागज़ को अकार्बनिक पिगमेंट, बाइंडर, सर्फेक्टेंट और अन्य सामग्रियों से बने घोल में कागज़ के दोनों ओर समान रूप से लेपित किया जाता है। लेपित कागज़ को सुखाने वाले ओवन से गुज़ारा जाता है जो कोटिंग को सुखाते हैं और फिर सूखे कागज़ को वांछित चिकनाई, फिनिश और मोटाई प्राप्त करने के लिए रोलर्स से दबाया जाता है।
5. सब्लिमेशन पेपर का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा और परिधान मुद्रण, व्यक्तिगत उत्पादों, प्रचार सामग्री, सिरेमिक टाइलों, फोन कवर, मग और टम्बलर, पहेलियाँ, माउस पैड, फोटो उपहार और साइनेज में एक विशेष मुद्रण सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पॉलिएस्टर या उसके मिश्रण में स्थाही अंतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक लेपित अंतरित कागज़ है जिसे मुद्रित रूप में ऊर्ध्वपातन डाई-आधारित स्थाही को अस्थायी रूप से बनाए रखने और तापीय अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें एक संगत सब्स्ट्रेट पर कुशलतापूर्वक छोड़ने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विचाराधीन उत्पाद या तो दुड़ लकड़ी के गूदे से या पुनर्चक्रित कागज़ से बना हो सकता है।
6. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने माप की इकाई के रूप में वर्ग मीटर पर विचार किया है।
7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 48 के अंतर्गत प्रशुल्क कोड 4809 9000, 4810 2200 और 4810 2900 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं को कई कोडों के अंतर्गत आयात किया गया है, जिनमें 4802 1010, 4807 0090, 4808 9000, 4810 1390, 4810 1490, 4810 1990, 4810 9900, 4811 4900, 4811 9099, 4816 9090, 4821 9090, 4823 6900, 4823 7090 और 4823 9090 शामिल हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
8. लागत और कीमत के संदर्भ में अंतर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवेदकों द्वारा निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संब्याएँ (पीसीएन) प्रस्तावित की गई हैं।

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	कोड
1.	34 तक जीएसएम	ए
2.	34 से अधिक सहित जीएसएम, लेकिन 40 तक	बी
3.	40 से अधिक जीएसएम	सी

## ख. समान वस्तु

9. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकारों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के तुलनीय विशेषताएँ रखती हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जाँच शुरू करने के प्रयोजन से, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां निर्यातित ‘संबद्ध वस्तु’ के समान वस्तु माना जा रहा है।

## ग. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मेसर्स जीटी पेपर्स, मेसर्स हाईटेक पेपर्स और मेसर्स जिबो पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन को संबद्ध वस्तुओं के तीन (3) अन्य उत्पादकों, अर्थात् एलीसियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनाथजी मार्केटिंग कंपनी और सिल्वर पेपरकोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलीसियम इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिल्वर पेपरकोट प्राइवेट लिमिटेड भारत में पाठित वस्तुओं के आयातकों से संबद्ध हैं।
11. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने जाँच की अवधि के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे विषय देशों में विषय वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विषय वस्तुओं के आयातकों से संबंधित नहीं हैं।
12. आवेदकों ने दावा किया है कि यदि एलीसियम इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिल्वर पेपरकोट प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के रूप में योग्य माना जाता है, तो भी आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 34% का बड़ा हिस्सा है। भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 55 हिस्सा आवेदक के साथ-साथ समर्थकों का है। इस प्रकार, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और आवेदन एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

## घ. संबद्ध देश

13. यह आवेदन चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के डंप किए गए आयात के संबंध में दायर किया गया है।

## ड. जाँच की अवधि

14. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) की अवधि को जाँच की अवधि माना है। क्षति की जाँच की अवधि में 1 अप्रैल 2021-31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022-31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023-31 मार्च 2024 की अवधि और जाँच की अवधि शामिल होगी।

**च. कथित पाटन का आधार**

**चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

15. आवेदकों ने चीन के आरोहण नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है, और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शनी का निदेश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
16. वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है।

**छ. कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

17. कोरिया गणराज्य के संबंध में, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें कोरिया गणराज्य में बिक्री कीमतों या प्रचलित कीमतों से संबंधित किसी अन्य जानकारी तक पहुँच नहीं थी। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया गया है। आवेदकों ने आगे कहा है कि उन्हें कोरिया गणराज्य में उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन लागत की जानकारी नहीं थी और इसलिए, यह जानकारी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है। आवेदकों ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य, बिक्री और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है।

**ज. निर्यात कीमत**

18. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत, डीजी प्रणाली के आंकड़ों में यथा-सूचित संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, पोत और हैंडलिंग व्यय, अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई, बैंक प्रभार, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है ताकि एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

**झ. पाटन मार्जिन**

19. पाटन मार्जिन का निर्धारण सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वारा स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के

संबंध में भी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रमाण है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाठित किया जा रहा है।

#### **ज. क्षति और कारणात्मक संबंध**

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाठित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना दर्शाती है कि आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और इनकी कीमतें घरेलू उद्योग की विक्री लागत से भी नीचे हैं। बाजार हिस्सेदारी, मालसूची और लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्षति की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और पूँजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाठित आयातों के कारण हो रही है।

#### **ट. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

21. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हुए, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू करते हैं तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करते हैं, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### **ठ. प्रक्रिया**

22. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### **ड. सूचना की प्रस्तुति**

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएसवर्ड फार्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों। फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

**३. समय सीमा**

26. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित ईमेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातिक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्रेषित किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने वाली सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातिक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

**४. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति**

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसके साथ-साथ उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
30. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करें, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को उल्लिखित किया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या सुनिश्चित की जाए।
31. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।
32. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह का अंकन किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी

द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर सारांश दिया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश में अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश करना संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
35. गोपनीयता के दावों पर उचित कारण के विवरण के लिए इसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
37. प्राधिकारी इस पर संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और वह किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने में विफलता के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

#### असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त समय अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2025

**Case No. AD (OI)-36/2025**

**Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Sublimation Paper originating in or exported from China PR and Korea RP.**

**F. No. 6/41/2025 -DGTR.—1.** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), an application has been filed by M/s GT Papers, M/s Hi Tech Papers and M/s Zibo Paper Industries before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Sublimation Paper (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from China PR and Korea RP (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumping of imports of the product under consideration originating in or exported from the subject countries. Accordingly, the applicants have requested for the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. Product under consideration**

3. The product under consideration in the present investigation is Sublimation Paper. It is also known as sublimation transfer paper, heat transfer paper, paper for digital textile printing, wood grain transfer paper, and thermal transfer paper in the market parlance.
4. In order to manufacture the subject goods, high quality paper with low porosity and high dimensional stability, is coated in a solution made of inorganic pigments, binders, surfactants and other materials evenly on both sides of the paper. The coated paper passes through drying ovens that cure the coating and the dried paper is then pressed through rollers to achieve desired smoothness, finish and thickness.
5. Sublimation Paper is majorly used as a specialty printing material in textile and garment printing, personalized products, promotional merchandize, ceramic tiles, phone covers, mugs and tumblers, puzzles, mouse pads, photo gifts and signage. It is used to transfer ink to polyester or its blends. It is a coated transfer paper engineered to temporarily retain sublimation dye-based inks in printed form and facilitate their efficient release onto a compatible substrate via a thermal transfer process. The product under consideration can be either made of hardwood pulp or recycled paper.
6. For the purpose of the present investigation, the Authority has considered square meters as the unit of measurement.

7. The subject goods are classified under Chapter 48 of the Customs Tariff Act under the tariff code 4809 9000, 4810 2200 and 4810 2900. However, as per information on record, the subject goods have been imported under a number of codes, including 4802 1010, 4807 0090, 4808 9000, 4810 1390, 4810 1490, 4810 1990, 4810 99 00, 4811 4900, 4811 9099, 4816 9090, 4821 9090, 4823 6900, 4823 7090 and 4823 9090. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. The following product control numbers (PCNs) have been proposed by the applicants for the purpose of the present investigation, considering the difference in terms of cost and price.

S.No.	PCN Parameter	Code
1.	GSM upto 34	A
2.	GSM including and more than 34 but upto and including 40	B
3.	GSM more than 40	C

#### **B. Like Article**

9. The applicants have claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject countries in terms of technical specifications, physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject countries.

#### **C. Domestic Industry and Standing**

10. The application has been filed by M/s GT Papers, M/s Hi Tech Papers and M/s Zibo Paper Industries. The application has been supported by three (3) other producers of the subject goods, namely, Elysium Industries Private Limited, Shrinathji Marketing Company and Silver Papercoats Private Limited. Further, Elysium Industries India Private Limited and Silver Papercoat Private Limited are related to the importers of dumped article in India.
11. The applicants have submitted that they have not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation and they are not related to the exporters of the subject goods in the subject countries or importers of the subject goods in India.
12. The applicants have claimed that even if Elysium Industries India Private Limited and Silver Papercoat Private Limited are considered as eligible to constitute domestic industry, the applicants account for major proportion of the total Indian production at 34%. The applicant, along with supporters account for 55% of the total domestic production in India. Thus, the Authority *prima facie* notes that the applicants constitute domestic industry under Rule 2(b), and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

#### **D. Subject Countries**

13. The application has been filed in respect of dumped imports of the product under consideration from China PR and Korea RP.

**E. Period of Investigation**

14. The Authority has considered 1<sup>st</sup> April 2024 to 31<sup>st</sup> March 2025 (12 months) as the period of investigation. The injury investigation period shall cover the period 1<sup>st</sup> April 2021– 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022– 31<sup>st</sup> March 2023, 1<sup>st</sup> April 2023 – 31<sup>st</sup> March 2024 and the period of investigation.

**F. Basis of alleged dumping****Normal value for China PR**

15. The applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and para 7 of the Annexure I to the AD Rules, and have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Anti-dumping Rules, 1995.
16. The normal value, for the purpose of initiation of the present investigation, has been constructed based on the price payable in India, which is based on the cost of production of the domestic industry, adjusted for selling, general and administrative expenses plus reasonable profits.

**Normal value for Korea RP**

17. With respect to Korea RP, the applicants have submitted that they did not have access to information with regards to selling prices, or any other information with regard to the prevailing prices in Korea RP. Therefore, the normal value has been determined on alternative basis. The applicants have further stated that they did not have access to the actual cost of production of the producers in Korea RP and thus, such information has been determined based on best available information. The applicants have determined normal value based on cost of production with addition of general, selling and administrative expenses and reasonable profits, as per available information. The normal value, for the purpose of initiation of the present investigation, has been constructed based on the cost of production of the domestic industry, adjusted for selling, general and administrative expenses plus reasonable profits.

**Export price**

18. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port and handling expenses, inland freight, bank charges, credit cost and inventory carrying costs to arrive at ex-factory export price.

**Dumping margin**

19. The dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. The normal value and export price of the subject goods have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is not only above the de-minimis level but is also significant in respect of imports of product under consideration from the subject

countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

#### **G. Injury and Causal Link**

20. The information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished *prima facie* evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and are priced below the cost of sales of the domestic industry. The performance of the domestic industry has been adversely impacted in respect of market share, inventories and profitability. The profits, cash profit and return on capital have declined over the injury period. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject countries.

#### **H. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

21. On the basis of the duly substantiated application filed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted, substantiating dumping of the product under consideration from the subject countries, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. Procedure**

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in the present investigation.

#### **J. Submission of Information**

23. All the communications should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted

24. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.

25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**K. Time Limit**

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

**L. Submission of Information on a Confidential Basis**

29. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
30. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
31. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents
32. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information
35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information

**M. Inspection of Public File**

38. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

**N. Non-cooperation**

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority